



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.



(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या/Corporate Identity Number: U35201MH1990GOI223738

केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई

दिनांक: 17/10/2023

सेवा में,

प्रबंधक (अनुपालन अनुभाग),
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 27 (2) के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट

महोदय,

कृपया सेबी मास्टर सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023, 30.09.2023 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए के अनुलग्नक 6 के प्रारूप के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 27 (2) के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट संलग्न है।

कृपया, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे अपने रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,

भवदीय

कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)

कंपनी सचिव

संलग्न: यथोपरि

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

Regd. Office: Belapur Bhavan, Sector 11, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai 400614. Tel: 91-22-27572015; Fax: 022-27572420

ई-मेल (E-mail): general@krcl.co.in • वेबसाइट (Website): www.konkanrailway.com

LEI No.335800CK2UZ7PG7WLL79



भारत 2023 INDIA

भारत 2023 INDIA
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

वित्तीय वर्ष के प्रत्येक 6 महीने के अंत में सूचीबद्ध संस्था द्वारा छमाही आधार पर वर्ष में दो बार प्रारूप प्रस्तुत

(सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई 2023 के तहत निर्धारित अनुबंध-VI के प्रारूप के अनुसार)

1. सूचीबद्ध इकाई का नाम: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. अर्धवार्षिक समाप्ति - 30 सितम्बर 2023

I. ऋणों/गारंटियों/आराम पत्र/प्रतिभूतियों आदि का प्रकटीकरण नीचे नोट देखें

(ए) सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया कोई भी ऋण या ऋण का कोई अन्य रूप:

कंपनी	छह महीने के दौरान अग्रिम राशि की कुल राशि	छह महीने के अंत में बकाया राशि
प्रमोटर या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य
प्रमोटर समूह या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य
निदेशक (रिश्तेदारों सहित) या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य
केएमपी या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य

(बी) किसी भी ऋण (ऋणों) या किसी अन्य प्रकार के ऋण के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रदान किया गया कोई गारंटी आराम पत्र (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है):

कंपनी	प्रकार (गारंटी, आराम पत्र, आदि)	छह महीने के दौरान जारी करने की कुल राशि	छह महीने के अंत में बकाया शेष (किसी भी आमंत्रण को ध्यान में रखते हुए)
प्रमोटर या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर समूह या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक (रिश्तेदारों सहित) या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य

सी) किसी भी ऋण (ऋणों) या किसी अन्य रूप के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा द्वारा प्राप्त ऋण

कंपनी	सुरक्षा का प्रकार (नकद, शेयर आदि)	छह महीने के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा का कुल मूल्य	छह महीने का अंत में बकाया राशि
प्रमोटर या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
प्रमोटर समूह या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक (रिश्तेदारों सहित) या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी या उनके द्वारा नियंत्रित कोई अन्य संस्था	शून्य	शून्य	शून्य

II प्रतिज्ञान:

प्रवर्तकों को सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए किसी भी ऋण (या ऋण के अन्य रूप) के संबंध में सभी ऋण (या ऋण के अन्य रूप), गारंटी, आराम पत्र या प्रतिभूतियां, प्रमोटर समूह, निदेशक (उनके रिश्तेदारों सहित), प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (उनके रिश्तेदारों सहित) या उनके द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था कंपनी के आर्थिक हित में हैं।

हस्ताक्षर

आर. एम. भडांग

निदेशक (वित्त) और सीएफओ

दिनांक: 17 अक्टूबर 2023

नोट :

1. इन प्रकटीकरणों में कोई ऋण (या ऋण के अन्य रूप), गारंटी / आराम पत्र (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) या किसी ऋण या

किसी अन्य प्रकार के ऋण के संबंध में प्रदान की गई सुरक्षा शामिल नहीं होगी;

ए) किसी सरकारी कंपनी द्वारा सरकार या सरकारी कंपनी को/के लिए

बी) सूचीबद्ध इकाई द्वारा/उसकी सहायक कंपनी [और संयुक्त उद्यम कंपनी] के लिए जिनके खाते सूचीबद्ध इकाई के साथ समेकित हैं।

सी) किसी बैंकिंग कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा; तथा

डी) सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को सेवा शर्तों के एक भाग के रूप में

2. यदि सूचीबद्ध संस्था कोई अन्य जानकारी प्रदान करना चाहती है, तो उसे उपरोक्त तालिका में पैरा डी के रूप में दर्शाया जा सकता है।